

कोलाड और वेरना स्टेशन के बीच कारों के परिवहन के लिए रो-रो (रोल-ऑन रोल-ऑफ) सेवा

उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश:

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अभिनव और ग्राहक-केंद्रित माल सेवाएं प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप, कोलाड (महाराष्ट्र) और वेरना (गोवा) के बीच कारों के परिवहन के लिए रो-रो सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार हैं:

1. **मार्ग और समय-सारिणी:** - ये सेवाएँ निम्नलिखित स्टेशनों के बीच शुरू से अंत तक उपलब्ध होंगी:
 - a. कोलाड से वेरना
 - b. वेरना से कोलाड

रो-रो सेवा के लिए प्रस्थान और आगमन का समय निम्नानुसार होगा

	कोलाड - वेरना	वेरना - कोलाड	प्रारंभिक स्टेशन पर रिपोर्टिंग समय
प्रस्थान	17:00 बजे (दिन-1)	17:00 बजे (दिन-1)	14:00 बजे
आगमन	05:00 बजे (दिन-2)	05:00 बजे (दिन-2)	14:00 बजे

ग्राहकों को यात्रा के दिन रो-रो के प्रस्थान से 3 घंटे पहले अर्थात् 14:00 बजे या उससे पहले प्रारंभिक स्टेशन पर रिपोर्ट करना होगा।

ट्रेन चलने के दिन: सेवाएं निम्नलिखित दिनों में उपलब्ध होंगी:

कोलाड से वेरना तक सेवाएँ	वेरना से कोलाड तक सेवाएँ
23/08/2025	24/08/2025
25/08/2025	26/08/2025
27/08/2025	28/08/2025
29/08/2025	30/08/2025
31/08/2025	01/09/2025
02/09/2025	03/09/2025
04/09/2025	05/09/2025
06/09/2025	07/09/2025
08/09/2025	09/09/2025
10/09/2025	11/09/2025

2. **रो-रो सेवाओं का संचालन:** प्रति ट्रिप अधिकतम क्षमता 40 कार की होगी। रैक में 20 वैगन होंगे और प्रत्येक वैगन में दो कार होंगी। यदि बुकिंग प्रति ट्रिप 16 कार से कम है, तो सेवाएँ रद्द कर दी जाएँगी। ऐसी स्थिति में, ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

3. बुकिंग प्रक्रिया:

- दिशा में प्रति कार शुल्क रुपये 7875/- (5% जीएसटी सहित) होगा। इच्छुक ग्राहक निर्धारित पते पर और निर्धारित समय के दौरान रुपये 4000/- (5% जीएसटी सहित) का पंजीकरण शुल्क देकर अपनी बुकिंग पहले से करा सकते हैं। शेष रुपये 3875/- (5% जीएसटी सहित) यात्रा के दिन प्रारंभिक स्टेशन (अर्थात् कोलाड या वेरना) पर भुगतान करना होगा।
- पंजीकरण:** सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक नीचे दिए गए पते पर रुपये 4000/- प्रति कार पंजीकरण शुल्क (5% जीएसटी सहित) का भुगतान करके कार बुक कर सकते हैं:

कोलाड - वेरना सेवा	वेरना - कोलाड सेवा
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक का कार्यालय कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चौथी मंजिल, बेलापुर भवन, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई 400 614 संपर्क संख्या: 9004470973	वेरना रेलवे स्टेशन, वेरना , गोवा. संपर्क संख्या: 9686656160

- सभी यात्राओं की बुकिंग दिनांक 21/07/2025 को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी और 13/08/2025 को सायं 17:00 बजे तक खुली रहेगी। (कार्य दिवसों अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तक)
- भुगतान विधि:** पंजीकरण हेतु भुगतान यूपीआई या नकद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। स्टेशनों पर, शेष भाड़ा ग्राहक द्वारा नकद, यूपीआई या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
- पंजीकरण के समय, ग्राहक को कार का विवरण अर्थात् पंजीकरण संख्या, आरसी बुक की प्रति, हस्ताक्षरित पंजीकरण फॉर्म और स्टेशन पर निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
- यात्रा के दिन, ग्राहक को प्रस्थान समय से पहले सायं 4:00 बजे तक स्टेशन पर उपस्थित होना होगा और शेष भाड़ा स्टेशन पर जमा करना होगा। यदि ग्राहक स्टेशन पर नहीं आते हैं, तो पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- ग्राहक को स्टेशन पर घोषणा पत्र/क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।
- ग्राहक आरक्षण पत्र पर साथ आने वाले यात्रियों का विवरण घोषित करेगा और निर्धारित राशि का भुगतान करके यात्रा टिकट प्राप्त करेगा। प्रति कार अधिकतम तीन व्यक्तियों

(यात्री) को रोरों ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी। जिनमें से दो यात्री 3AC श्रेणी में प्रति यात्री 935/- रुपये का भुगतान करके रैक से जुड़े 3AC कोच में यात्रा कर सकते हैं तथा एक यात्री 2S श्रेणी का किराया अर्थात् 190/- रुपये का भुगतान करके SLR कोच में यात्रा कर सकता है।

- i. यात्रियों के लिए यात्रा टिकट कोलाड/वर्ना स्टेशन पर मैनुअल रूप से (EFT) जारी किया जाएगा। EFT को कार के लिए जारी यात्रा टिकट से क्रॉस रेफरेंस किया जाना चाहिए।

4. रद्दीकरण और धनवापसी

- a. प्रत्येक ट्रिप में 40 कारों को ले जाने की क्षमता है। यदि बुकिंग प्रति ट्रिप 16 कार से कम है, तो सेवाएँ रद्द कर दी जाएँगी। ऐसी स्थिति में, ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- b. सेवाएँ बुक हो जाने के बाद उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। यदि ट्रिप कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क बुकिंग के समय ग्राहक द्वारा दिए गए बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

5. नियम और शर्तें

- a. ग्राहक ध्यान दें कि वे इस सुविधा का लाभ अपनी इच्छा और जोखिम पर उठा रहे हैं।
- b. ग्राहक अपनी कार और साथ आने वाले यात्रियों के साथ रो-रो ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 3 घंटे पहले प्रारंभिक स्टेशन पर रिपोर्ट करेगा, अर्थात् 14:00 बजे।
- c. चालक और साथ आने वाले यात्री लागू श्रेणी के लिए निर्धारित किराया देकर ट्रेन से जुड़े यात्री कोच में यात्रा करेंगे, अर्थात् 3AC श्रेणी के लिए प्रति यात्री रुपये 935/- और 2S श्रेणी की सीटों के लिए रुपये 190/- हैं।
- d. प्रत्येक कार बुकिंग के विरुद्ध अधिकतम 3 यात्रियों (3AC कोच में 2 यात्री और SLR में एक यात्री) को अनुमति दी जाएगी। यात्रियों का विवरण, अर्थात् नाम, आयु, लिंग ग्राहक द्वारा घोषित किया जाएगा। अतिरिक्त यात्रियों को, यदि कोई हो, केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कोच में खाली बर्थ हों, जो केआरसीएल के पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा।
- e. रो-रो ट्रेन से कार को चढ़ाना (रोलिंग ऑन) और उतारना (रोलिंग ऑफ) ग्राहक की जिम्मेदारी होगी। आवश्यक सहायता कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी।
- f. ट्रेन में लदे कार को लैशिंग बेल्ट से सुरक्षित किया जाएगा।
- g. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि कार को ट्रेन में चढ़ाने के बाद, हैंड ब्रेक लगाए जाएं और दरवाजे ठीक से बंद और लॉक किए जाएं।
- h. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि कार में कोई भी गैरकानूनी, ज्वलनशील पदार्थ न ले जाया जाए।

- i. किसी भी परिस्थिति में, ग्राहक पारगमन के दौरान रो-रो ट्रेन में लदे कार में यात्रा नहीं करेगा। कृपया ध्यान दें कि रो-रो ट्रेन विद्युतीकृत खंड पर चल रही है और ओएचई 25 केवी आपूर्ति से चार्ज है जो मानव जीवन के लिए संभावित रूप से खतरनाक है।
- j. सेवाओं के रद्द होने की स्थिति में, ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के अलावा केआरसीएल द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- k. ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन में कोई भी सजावटी सामान/रस्सी/एंटीना आदि ढीला न हो।
- l. कौंकण रेलवे कार को हुए किसी भी नुकसान/कार में रखी वस्तुओं की चोरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक को स्वयं को लगी किसी भी चोट या वाहन या उसमें रखी वस्तुओं को हुए किसी भी नुकसान के लिए कौंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

6. आवश्यक दस्तावेज़:

पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी: -

- (i) आधार कार्ड की एक प्रति
- (ii) पैन कार्ड की एक प्रति
- (iii) कार की आरसी बुक/कार्ड की एक प्रति
- (iv) कार के वैध बीमा की एक प्रति

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रो-रो कार परिवहन पंजीकरण फॉर्म

मैं, अधोहस्ताक्षरी, अपनी कार को _____ स्टेशन से _____ स्टेशन तक रो-रो सेवा के माध्यम से परिवहन करने का अनुरोध करता/करती हूँ। मैंने आधिकारिक वेबसाइट (www.konkanrailway.com) पर उपलब्ध नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।

ग्राहक विवरण:

कार मालिक का नाम: _____
आधार कार्ड संख्या: _____ (प्रति संलग्न करें)
पता: _____
संपर्क नंबर: _____ ईमेल आईडी: _____

यात्रा विवरण:

स्टेशन से: _____ स्टेशन तक: _____ यात्रा की तिथि: _____

कार विवरण:

कार पंजीकरण संख्या: _____ (आरसी की प्रति संलग्न करें)
कार निर्माता और मॉडल: _____
बीमा वैधता: _____ से _____ तक (प्रति संलग्न करें)

मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी चुनी हुई तिथि पर रो-रो सेवा तभी संचालित होगी, जब 13/08/2025 तक न्यूनतम उस दिन के लिए 16 कारों की बुकिंग हो। अपर्याप्त बुकिंग के कारण रद्दीकरण की स्थिति में, रुपये 4,000/- का पंजीकरण शुल्क नीचे दिए गए बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

धन वापसी के लिए बैंक विवरण:

लाभार्थी का नाम: _____
बैंक खाता संख्या एवं प्रकार: _____ (बचत/चालू)
बैंक का नाम एवं शाखा का पता: _____ IFSC कोड: _____
पैन कार्ड संख्या: _____ (प्रति संलग्न करें)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

ग्राहक के हस्ताक्षर

नाम: _____ दिनांक: _____

केवल कार्यालय उपयोग के लिए (केआरसीएल अधिकारी द्वारा भरा जाना है):

जमा किए गए दस्तावेज़ (जरूरी होने पर टिक करें):
[] आधार कार्ड [] पैन कार्ड [] कार आरसी [] वैध बीमा प्रति
एकत्रित राशि: _____ भुगतान का तरीका: नकद / यूपीआई : _____
लेनदेन आईडी (यूपीआई के लिए): _____
ईएफटी सीरियल नंबर: _____

केआरसीएल अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

कार रो-रो सेवा घोषणा पत्र
(स्टेशन पर भरा जाना है)

क्रमांक: _____

तारीख: _____

मैं, अधोहस्ताक्षरी, अपनी कार को रो-रो सेवा के माध्यम से _____ स्टेशन से _____ स्टेशन तक ले जाने के लिए इच्छुक हूँ इस संबंध में, मैं निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:

1. मैं यह सुविधा अपनी इच्छा और जोखिम पर ले रहा/रही हूँ।
2. वाहन में कोई भी अवैध सामग्री उपलब्ध नहीं है।
3. मेरे वाहन में कोई ज्वलनशील पदार्थ/उपकरण नहीं रखा गया है।
4. रो-रो ट्रेन में अपने वाहन को लादने और सुरक्षित करने के बाद, मैं निर्धारित किराया देकर ट्रेन से जुड़े कोच में यात्रा करूँगा/करूँगी।
5. मैंने कोच में अपने साथ यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण घोषित कर दिया है और निर्धारित किराया देकर इन यात्रियों के लिए यात्रा टिकट प्राप्त कर लिया है।
6. किसी भी परिस्थिति में, मैं पारगमन के दौरान रो-रो ट्रेन में लदे अपने वाहन में यात्रा नहीं करूँगा/करूँगी। मुझे पूरी जानकारी है कि रो-रो ट्रेन विद्युतीकृत खंड पर चल रही है और ओएचई 25 केवी आपूर्ति से चार्ज है जो मानव जीवन के लिए संभावित रूप से खतरनाक है।
7. मैं वाहन को सुरक्षित करने के लिए की गई लैशिंग और अर्थिंग व्यवस्था को बाधित नहीं करूँगा/करूँगी।
8. मेरे वाहन से कोई भी सजावटी सामग्री/रस्सी आदि जैसी ढीली वस्तुएँ नहीं जुड़ी हैं।
9. मेरी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगी हुई है और गाड़ी के रो-रो ट्रेन पर चढ़ने के बाद भी मैं उसे लगी हुई हालत में रखूँगा/रखूँगी।
10. मैं यात्रा टिकट अपने साथ गंतव्य तक ले जाने का आश्वासन देता/दिती हूँ और रेलवे अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर किसी भी जाँच के लिए उसे प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
11. मुझे यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया है, जो मैंने समझ ली हैं। मैं स्वयं को लगी किसी भी चोट या मेरे वाहन या उसमें रखी वस्तुओं को हुए किसी भी नुकसान के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी।

मेरे वाहन के बारे में विवरण नीचे दिए गए हैं।

1. यात्रा की तिथि: _____
2. वाहन पंजीकरण संख्या: _____
3. वाहन का ब्रांड और मॉडल: _____
4. प्रारंभिक स्टेशन: _____
5. गंतव्य स्टेशन: _____
6. भुगतान विवरण (माल दुलाई शुल्क): _____
7. टिकट संख्या: _____
8. मालिक का नाम _____

ग्राहक/चालक के हस्ताक्षर

वाणिज्य सहायक/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

कार रो-रो सेवा घोषणा पत्र
(स्टेशन पर भरा जाना है)

कार रो-रो सेवा से यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण (एक कार में अधिकतम 3 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं - 3AC में 2 और 2S में 1)

मुख्य यात्री का नाम: _____
आयु: _____ लिंग _____ मोबाइल नंबर _____
पता: _____
यात्रा श्रेणी: _____ सीट संख्या: _____
ईएफटी सीरियल नंबर: _____
आधार कार्ड नंबर: _____

प्रथम सहयात्री का नाम: _____
आयु: _____ लिंग _____ मोबाइल नंबर _____
पता: _____
यात्रा श्रेणी: _____ सीट संख्या: _____
ईएफटी सीरियल नंबर: _____
आधार कार्ड नंबर: _____

दूसरे सहयात्री का नाम: _____
आयु: _____ लिंग _____ मोबाइल नंबर _____
पता: _____
यात्रा श्रेणी: _____ सीट संख्या: _____
ईएफटी सीरियल नंबर: _____
आधार कार्ड नंबर: _____